

**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 170

दिनांक- 20/02/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

**विषय :-** मेसर्स सी0सी0एल0 की आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि-103.26 हे0 एवं गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी-17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/36506/2018) के संबंध में।

**प्रसंग :-** वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 127 दिनांक 11.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मेसर्स सी0सी0एल0 की आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि-103.26 हे0 एवं गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी-17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव Online तथा उसकी Hard Copy की 5-5 प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :-

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :-

| प्रमण्डल का नाम          | अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि (हे0 में) | अधिसूचित परन्तु असीमांकित वन भूमि (हे0 में) | गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी (हे0 में) | कुल रकबा (हे0 में) | गैर वनभूमि (हे0 में) | वनस्पति घनत्व |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल | 120.61                                  | 103.26                                      | 17.35                          | 120.61             | 39.49                | 0.6           |

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र Form-A (Part-I) समर्पित किया गया है तथा उसमें अभियुक्ति दर्ज है।
- विषयगत परियोजना में प्रभावित भूमि से संबंधित Authenticated Land Schedule के साथ ऑनलाईन पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड किया जा चुका है जिसकी प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- विषयगत परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि में सन्निहित गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि का आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक 1800 दिनांक 11.11.2022 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
- विषयगत परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि/जंगल-झाड़ी से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र समर्पित करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- प्रस्ताव के साथ Cost Benefit Analysis संलग्न है।
- प्रस्ताव के साथ Detailed Project Report संलग्न है।
- प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र संलग्न है।
- अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरुद्ध एन0पी0भी0/क्षतिपूरक वनरोपण इत्यादि नियमानुसार मांगी गई मद की राशि जमा करने से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता

प्रमाण-पत्र (Undertaking) ऑनलाईन पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड किया जा चुका है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि को Toposheet पर दर्शाते हुए संलग्न है।
11. परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि को कैंडेस्ट्रल मैप पर वनभूमि, जंगल झाड़ी भूमि एवं गैर वनभूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल में प्रस्तावित 120.61 हे० के दो गुणे कुल 241.21 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

| S. No. | Name of Division             | Name of Village | Thana & Thana No. | Plot No.               | Net Area (in ha) |
|--------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 1      | 2                            | 3               | 4                 | 5                      | 6                |
| 1      | Chatra South Forest Division | Badgaon PF      | Simaria-208       | 341, 342, 343, 347     | 80.00            |
| 2      |                              | Kadamdiri PF    | Tandwa-87         | 11, 41P, 42, 53        | 34.61            |
| 3      |                              | Brinda PF       | Tandwa-36         | 116, 124               | 71.60            |
| 4      |                              | Sisai PF        | Tandwa-42         | 1122, 1123, 1175, 1176 | 55.00            |
|        | Total :-                     |                 |                   |                        | 241.21           |

13. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि के दोगुने वनभूमि क्षेत्र 241.21 हे० में क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का DGPS Map सीडी सहित संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि के दोगुने वनभूमि क्षेत्र 241.21 हे० में क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का Cadastral Map पर दर्शाते हुए संलग्न है।
15. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल को सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपोग्राम 1:50000 के स्केल पर दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. अपयोजित होने वाले वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 6782 प्रतिवेदित की गयी है। प्रजातिवार वृक्षों की गणना सूची एवं सारांश सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
17. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित चार स्थल का 10 वर्षीय प्राक्कलन की प्रति संलग्न है।
18. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (Suitability Certificate) संलग्न है।
19. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का पार्ट-2 की मैन्युअल फार्म एवं ऑनलाईन प्रति संलग्न है।
20. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
21. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का Recommendation की प्रति संलग्न है।
22. प्रस्ताव के साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का अनुशंसा एवं भरा हुआ मंतव्य Part-III की प्रति एवं स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
23. प्रस्ताव में CWLW का मंतव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।
24. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य Part-IV संलग्न है।

प्रश्नगत परियोजना में वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चतरा द्वारा प्रस्ताव के पार्ट-III में CCL के आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में अनुशंसा निम्नवत् तीन शर्तों के साथ की गयी है :-

- I. Site specific Wildlife Management Plan to be prepared in consultation with Forest Department to mitigate the impacts on wildlife and its habitat.
- II. Soil and moisture conservation plan will be needed to address soil erosion.
- III. Sufficient number of underpasses should be constructed at project cost by the User Agency in consultation with the Forest Department.

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 120.61 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु की गयी सशर्त अनुसंशा से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं।

अतः विषयगत वनभूमि अपयोजन हेतु मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:—यथोक्त।

(मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ)

विश्वासभाजन  


20.02.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

  
20-2

**PART-IV**

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

**Amrapali Railway Siding CCL - 120.61 ha.**

**17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)**

*(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-*

***Recommended for diversion of 120.61 ha. Forest land.***

Date :- 20.02.2023

Place :- Ranchi

Signature

 20.02.2023

(SANJAY SRIVASTAVA)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests

Cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)



# कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

सेवा में,

पत्रांक :- 127

दिनांक :- 11.02.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, रांची।

विषय:-

चतरा जिला अन्तर्गत सी0सी0एल0 द्वारा आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि- 103.26 हे0 एवं गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी- 17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 328 दिनांक 31.01.2023 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत सी0सी0एल0 द्वारा आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि- 103.26 हे0 एवं गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी- 17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया है। समर्पित प्रस्ताव के संबंध में निम्न तथ्य प्रतिवेदित करना है :-

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का मेनुअल फार्म पार्ट-2 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-170)
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का ऑनलाईन फॉर्म पार्ट-2 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 169-168)
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-167)
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का मंतव्य प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-166)
5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का Justification संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-165)
6. क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु दस वर्षीये प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 164-161)
7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा दिये गये क्षतिपूरक वनरोपण भूमि का उपयुक्ता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 160)
8. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के साथ मैनुअल Form-A (Part-I) संलग्न है- (पृष्ठ संख्या-159-158)
9. प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन Form-A (Part-I) की प्रति संलग्न है जिसमें अपयोजित होने वाले वन भूमि की विवरणी निम्नवत है- (पृष्ठ संख्या-157-151)

| प्रमंडल का नाम          | अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि (हे0 में) | अधिसूचित परन्तु असीमांकित वन भूमि (हे0 में) | गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि (हे0 में) | कुल रकबा (हे0 में) | गैर वन भूमि (हे0 में) |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल | 120.61                                  | 103.26                                      | 17.35                               | 120.61             | 39.49                 |

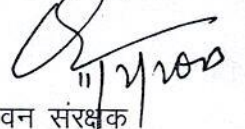
10. प्रस्ताव के साथ Authorization Letter संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-150-149)
11. विषयगत परियोजना में प्रभावित भूमि से संबंधित Authentic Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-148-139)
12. अपयोजित होनेवाले वन भूमि में प्रभावित गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-138)
13. विषयगत परियोजना से संबंधित प्रस्ताव के साथ Justification की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-137)
14. विषयगत परियोजना में Rehabilitation & Resettlement Plan की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 136)
15. अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध एन.पी.भी., क्षतिपूरक वनरोपण एवं अन्य मद हेतु माँगी गई राशि जमा करने संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 135)
16. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि में Wildlife Sanctuary का भाग नहीं पड़ते है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-134)
17. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि में Eco-sensitive Zone का भाग नहीं पड़ता है। इससे संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-133)
18. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि में कोई भी पुरातात्विक स्थल/विरासत का भाग नहीं पड़ते है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-132)
19. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि/जंगल-झाड़ी से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र समर्पित करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-131)
20. विषयक परियोजना में कम से कम वनभूमि का उपयोग किया जायेगा से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-130)
21. विषयगत परियोजना से संबंधित Cost Benefit Analysis की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-129-125)
22. आम्रपाली खुली खदान परियोजना से संबंधित भारत सरकार के पत्रांक No.J-11015/109/2003-IA.II(M) दिनांक 03.01.2006 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-124-118)
23. विषयगत रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु सी0सी0एल0 बोर्ड द्वारा DPR तैयार करने हेतु दिये गये सहमति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-117-112)
24. प्रस्ताव के साथ DPR संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-111-82)
25. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले भूमि को टोपो मैप 1:50000 स्केल पर दर्शाते हुए संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-81-80)
26. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Geo-Reference Map in Shape File की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-79)

27. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि का Land use plan 1:4000 scale prepared by using DGPS of total station दर्शाते हुए संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-78)
28. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले भूमि वनभूमि/जंगल-झाड़ी/गैरवनभूमि को प्रभावित मौजा का कैडस्ट्रल मैपअलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-77-68)
29. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी भूमि के विरुद्ध दूगने वनभूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल को DGPS Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-67-64)
30. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी भूमि के विरुद्ध दूगने वनभूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का नक्शा संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-63-60)
31. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी भूमि के विरुद्ध दूगने वनभूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल को टोपो मैप 1:50000 स्केल पर दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-59)
32. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं गैरवनभूमि में प्रभावित वृक्षों का सत्यापित गणना सूची सारांश के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-1-58)
33. अधोहस्ताक्षरी द्वारा भरा जाने वाला पार्ट-III प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-171)
34. अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-172-173)
35. अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया Recommendation प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-174)

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से विषयक परियोजना का प्रस्ताव उपरोक्त सभी अभिलेखों सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। इसकी पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है। विषयक परियोजना से संबंधित संचिका पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से अनुमोदन प्राप्त कर ली गई है।

अनुलग्नक-यथोक्त

आपका विश्वासी,



वन संरक्षक  
प्रादेशिक अंचल, चतरा।



# कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक 338

दिनांक 31/01/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
चतरा।

विषय:-

चतरा जिला अन्तर्गत सी0सी0एल0 द्वारा आग्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि- 103.26 हे0 एवं गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी- 17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि परियोजना पदाधिकारी, आग्रपाली खुली खदान, सी0सी0एल0, होन्हे, टण्डवा, चतरा ने अपने पत्रांक PO(A)/Forest/2022-23/2139 दिनांक 09.01.2023 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत सी0सी0एल0 द्वारा आग्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि- 103.26 हे0 एवं गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी- 17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया है। समर्पित प्रस्ताव के संबंध में निम्न तथ्य प्रतिवेदित करना है :-

1. अधोहस्ताक्षरी (वन प्रमंडल पदाधिकारी)का मैन्युअल फॉर्म पार्ट-2 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-170)
2. अधोहस्ताक्षरी (वन प्रमंडल पदाधिकारी)का ऑनलाईन फॉर्म पार्ट-2 प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 169-168)
3. अधोहस्ताक्षरी का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-167)
4. अधोहस्ताक्षरी (वन प्रमंडल पदाधिकारी) का मंतव्य प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-166)
5. अधोहस्ताक्षरी का Justification संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-165)
6. क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु दस वर्षीये प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 164-161)
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये उपयुक्ता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 160)
8. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के साथ मैन्युअल Form-A (Part-I)संलग्न है-(पृष्ठ संख्या-159-158)
9. प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन Form-A (Part-I) की प्रति संलग्न है जिसमें अपयोजित होने वाले वन भूमि की विवरणी निम्नवत है-(पृष्ठ संख्या-157-151)

| प्रमंडल का नाम          | अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि (हे0 में) | अधिसूचित परन्तु असीमांकित वन भूमि (हे0 में) | गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि (हे0 में) | कुल रकबा (हे0 में) | गैर वन भूमि (हे0 में) |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल | 120.61                                  | 103.26                                      | 17.35                               | 120.61             | 39.49                 |

10. प्रस्ताव के साथ Authorization Letter संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-150-149)
11. विषयगत परियोजना में प्रभावित भूमि से संबंधित Authentic Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-148-139)
12. अपयोजित होनेवाले वन भूमि में प्रभावित गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-138)

13. विषयगत परियोजना से संबंधित प्रस्ताव के साथ Justification की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-137)
14. विषयगत परियोजना में Rehabilitation & Resettlement Plan की आवश्यकता नहीं से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 136)
15. अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध एन.पी.भी., क्षतिपूरक वनरोपण एवं अन्य मद हेतु माँगी गई राशि जमा करने संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 135)
16. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि में Wildlife Sanctuary का भाग नहीं पड़ते है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-134)
17. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि में Eco-sensitive Zone का भाग नहीं पड़ते है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-133)
18. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि में कोई भी पुरातात्विक स्थल/विरासत का भाग नहीं पड़ते है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-132)
19. विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि/जंगल-झाड़ी से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र समर्पित करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-131)
20. विषयक परियोजना में कम से कम वनभूमि का उपयोग किया जायेगा से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-130)
21. विषयगत परियोजना से संबंधित Cost Benefit Analysis की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-129-125)
22. विषयगत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति के पूर्व जमा करने से संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-124-118)
23. विषयगत रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु सीओसीओएल0 बोर्ड द्वारा DPR तैयार करने हेतु दिये गये सहमति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-117-113)
24. प्रस्ताव के साथ DPR संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-112-82)
25. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले भूमि को टोपोग्रैफिक मैप 1:50000 स्केल पर दर्शाते हुए संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-81-80)
26. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Geo-Reference Map in Shape File की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-79)
27. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि का Land use plan 1:4000 scale prepared by using DGPS of total station दर्शाते हुए संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-78)
28. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले भूमि वनभूमि/जंगल-झाड़ी/गैरवनभूमि को प्रभावित मौजा का कैडस्ट्रल मैपअलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-77-68)
29. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी भूमि के विरुद्ध दूगने वनभूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल को DGPS Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-67-64)
30. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी भूमि के विरुद्ध दूगने वनभूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का अघोहस्ताक्षरी द्वारा वनरोपण उपयुक्ता प्रमाण-पत्र संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-63-60)

31. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं जंगल-झाड़ी भूमि के विरुद्ध दूगने वनभूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल को टोपो मैप 1:50000 स्केल पर दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-59)
32. अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं गैरवनभूमि में प्रभावित वृक्षों का सत्यापित गणना सूची सारांश के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-1-58)

अतः प्रस्ताव की आठ मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त-

आपका विश्वासी,

*[Signature]* 31.01.2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

*[Signature]* 31/1/2023